

[श्री यशपाल सिंह]

मुझ दरबार नहीं है। यह पार्लियामेंट है। इस में हर एक मेम्बर को हक है कि वह अपनी बात कहें। आप ने मेरे साथ घन्याय किया है, अत्याचार किया है। मेरे साथ आपने इनजस्टिस की है। मुझे आपको जरूर मौका देना चाहिये वरना मैं इस बेइसाफी के खिलाफ इस डिबेटरशिप के खिलाफ धीरे धीरे आप की इस हाईहैंडिजनेस के खिलाफ मैं जरूर भूख हड़ताल करूंगा। आप ने मेरा हक मारा है।

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry to say, Shri Yashpal Singh, that you are obstructing the proceedings of the House.

श्री यशपाल सिंह मैं रेजोल्यूशन रखता हूँ, बोलने के लिए खड़ा होता हूँ, मेरे साथ स्पीकर साहब ने वादा किया था कि मुझे समय दिया जाएगा, तो क्या कारण है कि आप समय नहीं दे रहे हैं। आप हाउस की राय ले सकते हैं। मुझे आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। यह मेरे साथ घन्याय हुआ है। इस घन्याय को आप वापिस लीजियेगा।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. You were present here when I called the Minister. But you did not ask for an opportunity to reply.

श्री यशपाल सिंह: बीस बार मैं खड़ा हुआ हूँ, आपने मौका ही नहीं दिया है।

Shri Raghunath Singh: There should be an end to the whole matter.

श्री यशपाल सिंह स्पीकर ने वादा किया था कि मुझे समय मिलेगा। आपने मेरे साथ बहुत बेइसाफी की है।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. You cannot reopen the question now.

Shri Badrudduja: Sir, I rise a point of order. Under the Rules of Procedure it is the indispensable right of the mover of a resolution to give a reply after the debate is over. But you have debarred him from giving a reply..... (Interruptions).

Mr. Deputy-Speaker: What is the rule that you are quoting?

Shri Badrudduja: Therefore, it is wrong to say....

Mr. Deputy-Speaker: I am very sorry. There is no point of order. The matter is closed. I am not going to reopen it.

श्री यशपाल सिंह अगर आप मुझे मौका नहीं देगे तो मैं आपकी इस बेइसाफी के खिलाफ भूख हड़ताल अभी से करता हूँ।

Mr. Deputy-Speaker: All right. You may take any step. Now, we will take up the next item.

15.12 hrs.

MOTION RE: AGITATION BY TEACHERS

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up for consideration the motion to be moved by Shri Prakash Vir Shastri regarding the agitation by teachers to press their demands and the Government's reaction thereto.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) :
 उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ :—

“ कि यह सभा अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए किए गए धान्दोलन तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षा

उपमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 1965 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।”

उपाध्यक्ष महोदय, इस गरम वातावरण के बाद जिस विषय पर मैं चर्चा प्रारम्भ करने जा रहा हूँ और जिसका सम्बन्ध इस देश के कई लाख अध्यापकों और करोड़ों छात्रों से है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसी वातावरण में इस चर्चा को भी लिया जाएगा, या शांति से सोचा जायेगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अपना कर्तव्य है, मैं उसको निभाना चाहता हूँ।

मैं छगला माहव से यह अनुरोध करूँगा कि 26 फरवरी, 1965 को अध्यापकों के विषय में जो एक वक्तव्य उप शिक्षा मंत्री श्री भक्त दर्शन ने सदन में दिया था उसको वह फिर देखें। उस से इस सदन में और देश में भी बहुत चिन्ता उत्पन्न हो गई है। पिछले 18 वर्षों में संसद् का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजा महाराजाओं और बड़े बड़े पंजीपतियों से लेकर खेत में काम करने वाले किसान और घरेलू नौकर तक के लिए कुछ न कुछ देश व्यापी कानून यहीं बनाये गये हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माता अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई देश व्यापी सुदृढ़ कानून नहीं बनाया गया। मैं उसी अपेक्षित और भूखे अध्यापक की कहानी आज आपको यहाँ दुःख के साथ सुनाने खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि इस ब्रेचारे अध्यापक ने पिछले 18 वर्षों में कोई इस प्रकार का कार्य नहीं किया जिस को कि तोड़ फोड़ की संज्ञा दी जा सके। उस ने कहीं जा कर रेल गाड़ियाँ नहीं गिराई हैं, कहीं डाकघराने नहीं जलाये। कहीं अध्यापकों ने पुलिस के गिर नहीं फोड़े, और न ही कहीं अध्यापकों ने मंदिरों या गुफारों में किसी प्रकार का कोई अनपमान

किया है या जब मरने की धमकी दी है। पाँचवाँ यही कारण है कि सरकार के भागों तक अध्यापक की श्रावण पूरी तरह नहीं पहुँच पाई है। क्या सरकार यह चाहती है कि कोई देश व्यापी निर्णय न किया जाए और साथ ही इस बात की इच्छा भी रखती है कि अध्यापक हलके हथियारों का सहारा लें और उन में भी ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हो? यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई और देश में इस प्रकार के हलके वातावरण का निर्माण हो गया तो वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यन्त हानिकर होगा।

पिछले 18 वर्षों में अध्यापकों ने अपने गौरवपूर्ण पद और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ही सरकार के सामने अपनी माँगें रखी हैं। कभी मूक प्रदर्शनों के रूप में और कभी शिक्षक दिवस के रूप में। कभी एक दिन का उपवास कर के और कभी प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री या मुख्य मंत्री के पास अपने शिष्ट मंडल पहुँचा कर। पर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब अध्यापक आज यह देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में काम करने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं, उन के वेतन बढ़ाये जाते हैं, उनको पेंशन की सुविधायें दी जाती हैं, प्रेचुअटी और महंगाई भत्ते उन के बढ़ाये जाते हैं तो उनका भारत सरकार के सामने यह प्रश्न है कि वे अपने धैर्य को कब तक सम्भाल कर रखें? क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापक जब बाजार में जाता है तो उस को कपड़ा या सब्जी या दूसरी जो चीजें हैं जैसे गल्ला चमैरह धे सस्ते रेट पर मिल जाती हैं? क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापक को जब अपनी लड़की लड़के का विवाह करना

[श्री प्रकाशबीर शास्त्री]

पड़ता है तो उस को किसी प्रकार का दहेज नहीं देना पड़ता ? क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापक के बच्चों को एम० ए० तक की हिन्दुस्तान में मुफ्त शिक्षा दिलाने की व्यवस्था है या चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी हुई हैं। या और इसी प्रकार की जो यातायात के साधन हैं, उन में अध्यापकों को किसी प्रकार की सुविधायें हैं ? यदि ये सब बातें नहीं हैं तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दूसरे कर्मचारियों के लिए सरकार ने व्यवस्थायें की हैं, इन अध्यापकों ने क्या भ्रष्टाचार किया है जो इन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री श्री छागला ने एक बार उन के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए यह कहा था कि योजना के अन्तर्गत रहते हुए पचास प्रतिशत पैसा हम उन को दे सकते हैं। लेकिन वह जो पचास प्रतिशत पैसा प्राप्त करना चाहते हैं योजना के अन्तर्गत रहते हुए तब है जब राज्य सरकारें भी उतना ही पैसा दें। जहाँ तक मैचिंग ग्रांट का सवाल है, शिक्षा मंत्री ने 8 अप्रैल, 1965 को एक तारकित प्रश्न संख्या 800 के उत्तर में इसी सदन में बताया था कि कई राज्य सरकारें इस प्रकार की हैं कि जिन्होंने शिक्षकों के लिए मैचिंग ग्रांट की उस सहायता का उस रूप में उपयोग ही नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब शिक्षा मंत्री स्वयं इस बात को जानते हैं कि राज्य सरकारें मैचिंग ग्रांट का पूरा और सही उपयोग नहीं कर रही हैं और यह भी शिक्षा मंत्री को पता है कि राज्य सरकारों के सामने जब अध्यापक अपनी कठिनाइयाँ रखते हैं तो राज्य सरकारें अपना खाली

पल्ला झाड़ कर बता देती है। पर प्राश्चय की बात तो यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में भी शिक्षकों के सम्बन्ध में कोई विशेष राशि नियत नहीं की गई है।

मुझे जानकारी मिली है कि शिक्षकों का एक शिफ्टमंडल योजना आयोग के एक प्रमुख सदस्य से मिलने के लिए गया था और जब उसने शिक्षकों की कठिनाइयाँ उनके सामने रखीं तो योजना आयोग के उस सदस्य ने जोकि स्वयं एक शिक्षा शास्त्री हैं उन को उत्तर दिया कि योजना आयोग उन चीजों पर रुपया खर्च करना चाहता है जिन में रुपया लगाने से उत्पादन अच्छा मिले। इस उत्तर से सरकार स्वयं सोच सकती है कि आज शिक्षकों के सम्बन्ध में योजना आयोग का मन क्या है और सरकार की स्थिति क्या है ?

मैं शिक्षा मंत्री श्री छागला से पहली बात तो यह पूछना चाहता हूँ कि वे अपने उत्तर में इस बात को अवश्य बतायें कि अध्यापक जो आज वेतन, पेंशन या मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में सुविधायें मांग रहे हैं, उनकी यह मांग उचित भी है या नहीं ? अगर प्राप्त समझते हैं कि उनकी मांग उचित है तो सरकार सिद्धांत रूप में इस बात को पहले स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के बाद उसके उपाय ढूँढे। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी कई महीने पहले बराबर इस बात को कह रही थी कि उत्तर प्रदेश का कोष खाली है, हम कहां से पैसा दे सकते हैं लेकिन जब अध्यापकों ने आन्दोलन किया और सारे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया तो उर्मा उत्तर प्रदेश की सरकार ने न जाने कहां से छः सवा छः करोड़ रुपया निकाल लिया। अगर सिद्धांत रूप में सरकार इस बात को स्वीकार करेगी तो मैं समझता हूँ कि सरकार उसके लिए उपाय भी अवश्य ढूँढ सकती है।

शिक्षा मंत्री श्री छागला ने मुना जाता है कि अध्यापकों के एक गिण्ट मंडन को यह कहा है कि भ्रगर अध्यापक गण जितना पैसा मांगते हैं, उतना पैसा हम दें तो उसके लिए कम से कम पांच सौ करांड रुपये की और अधिक आवश्यकता हमको पड़ेगी जो सरकार के बजट को देखते हुए या सरकार की दूसरी योजनाओं को देखते हुए हम इस समय नहीं दे सकते। मेरा अपना विचार यह है कि भ्रगर छागला साहब केन्द्रीय मंत्रिमंडल में अध्यापकों के इस प्रश्न को रख कर केवल एक निर्णय यही करा दें कि सरकार में जो फिजूलखर्चियाँ होती हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाय; तो मेरा अपना अनुमान है कि शिक्षकों के लिए जितना पैसा अपेक्षित है उस की पूरी व्यवस्था हो जायगी। मौभाग्य से मैं कुछ सालों से पी० ए० सी० का भी सदस्य हूँ उसकी बैठकों में मैंने जाना है कि किस प्रकार से सरकार द्वारा धन का दुरुपयोग होता है। भ्रगर अपव्यय के सारे रास्ते बन्द कर दिये जायें, तो अच्छा पैसा हम बचा सकते हैं और शिक्षकों की मांग को हम पूरा भी कर सकते हैं और शिक्षकों को पूरी सुविधायें भी दे सकते हैं।

अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री के सामने एक और व्यावहारिक मुद्दा रखा था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है और विश्वविद्यालयों की समस्याओं पर विचार करता है उनकी प्राथिक स्थिति को संभालता है, और फिर उसके आधार पर ही प्राथिक सहयोग भी देता है। उसी प्रकार से देश में एक माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की भी स्थापना होनी चाहिये जो माध्यमिक स्कूलों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के कुछ निर्णय ले सके। लेकिन मुना जाता है कि शिक्षा मंत्री ने यह कर कर उनकी इस मांग को ठुकरा दिया कि संविधान में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भ्रगर संविधान इसके बीच में बाधक बनता है तो मैं छागला साहब

से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रश्न से देश के लाखों अध्यापकों और करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन का सम्बन्ध है, उनके लिए, जहाँ हम संविधान में और छोटी छोटी बातों के लिए परिवर्तन या संशोधन करते आये हैं, अब भी संशोधन या परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र का भविष्य जिस के साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में संविधान में कुछ परिवर्तन करने में या संशोधन करने में हमको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मैं यह भी चाहूँगा कि केवल इसी सम्बन्ध में संविधान का संशोधन न किया जाये। संविधान का संशोधन इस बात के लिये भी किया जाय जिससे शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जा सके। मैं जानता हूँ इस बात को भी कि शिक्षा मंत्री की ओर से कुछ प्रयास भी इसमें किया गया लेकिन राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला। पर मैं श्री चागला से कहना चाहता हूँ कि भ्रगर राज्य सरकारें अपने संकुचित स्वाधेयों या हितों के कारण केन्द्रीय सरकार के इस विचार में सहमत नहीं हो पा रही है तो देश की एकता और एकता की दृष्टि में शिक्षा मंत्रालय को स्वयं कुछ निर्णय लेना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि शिक्षा का पृथक पृथक राज्यों में पृथक दृष्टिकोण और पृथक ही आधार होने के कारण देश फिर विभाजन के द्वार पर खड़ा हो जाये। इस विषय में हमें कुछ अवश्य सोचना चाहिये। राजनीतिक धारा विद्या के मन्दिरों को भी राजनीतिक धम्माड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस दृष्टि में केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में अवश्य ही कोई मजबूत कदम उठाने चाहिये।

एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पीछे इसी मदन में जबका आई थी कि जिन प्रकार में आई० ए० एम० और आई० पी० एम० आदि कई अखिल भारतीय सेवायें हैं, उन्हीं प्रकार से शिक्षा के सम्बन्ध में अखिल

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

भारतीय स्तर पर कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिये। इस दिशा में भी शिक्षा मंत्रालय को कुछ निर्णय लेना चाहिये।

शिक्षा की समस्या से सम्बंधित एक दूसरी बात भी है, जिस के सम्बन्ध में कुछ दिन पहले एक प्रश्न भी इस सदन में आया था, कि विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा केन्द्र के हाथों में हो, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से इस विषय में परामर्श मांगा था उसका कितने राज्यों से अनुकूल उत्तर आया? शिक्षा मंत्री ने कहा था कि पंजाब को छोड़ कर किसी राज्य सरकार का उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है जिस को अनुकूल उत्तर कहा जा सके। शिक्षा मंत्री को अनुकूल उत्तर मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि देश एक बने, उन को देश की एकता को सुरक्षित बनाये रखना है तो यदि राज्य सरकारों से कोई अनुकूल उत्तर नहीं आता है तो केन्द्रीय सरकार को स्वयं आगे आ कर इस दिशा में निर्णय लेना चाहिये।

एक बात मैं निजी और सरकारी स्कूलों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का मन दिया था और राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार का मन दिया था कि सरकारी और निजी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में जो खाई है उसे बीच से पाट दिया जायेगा। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि कब सरकारी और निजी स्कूलों का पाठ्यक्रम एक है, दोनों की परीक्षा लेने की पद्धति एक है, दोनों का रंग ढंग और रूप एक है, तो स्वतंत्र भारत में समान व्यवसाय वालों में वेतन के भीतर इस प्रकार का अन्तर क्यों है। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन को शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक पत्र भी मिला 23 नवम्बर, 1964 को। उस 23 नवम्बर, 1964 के पत्र में शिक्षा मंत्रालय के सचिव

ने बतलाया था कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं या दिल्ली नगर निगम के विद्यालय हैं या नई दिल्ली नगरपालिका के विद्यालय हैं उन के शिक्षकों को पेंशन की सुविधा है, प्रेचु-इटी की सुविधा है, मंहगाई सम्बन्धी सुविधाएँ हैं सारी की सारी उसी प्रकार से दी जायेंगी जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं। लेकिन अब ऐसा सुनने में आया है, कि जो स्कीम आई है, उस में वह बातें नहीं हैं। नई दिल्ली के 13 हजार अध्यापक इस से बिल्कुल वंचित कर दिये गये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा में इस प्रकार बीच में खाई बनाये रखना और सरकार का समर्थन उसे प्राप्त होना, लोकतंत्र के लिये बहुत बड़ा अभिशाप है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् 1947 के बाद घोषणा की थी कि निजी और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का जो मूल वेतन है उस में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं रहेगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अध्यापकों के लिये वेतन कमेटी विठलाई थी उस ने जो निर्णय लिये हैं उन में निजी और गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में 60 से 80 रु० तक का अन्तर कर दिया गया है। यानी वह खाई जो पटनी चाहिये थी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्णय से उसे और चौड़ी कर दिया है। और सब से आश्चर्य की बात यह है शिक्षा मंत्री को स्वयं इस बात की जानकारी भी होगी, कि इस समय बहुत सी निजी शिक्षण संस्थायें इस प्रकार की भी हैं जिन में परीक्षा परिणाम गवर्नमेंट स्कूलों से कहीं अच्छा आता है। इस स्थिति में निजी स्कूलों के अध्यापकों को वह सुविधाएँ न दे कर अंग्रेजी सरकार के इन लाइले बेटों को स्वतंत्र भारत की सरकार कब तक पनपा कर रखना चाहती है। इस दिशा में अवश्य उसे कोई स्वस्थ निर्णय लेना चाहिये।

राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में जो नीति है उस के सम्बन्ध में भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि राज्य सरकारें इस मामले में कितने छोट हृदय से काम कर रही हैं। वे ऊपर से डिबोरा पीटती हैं फराखदिली का लेकिन जो निर्णय लेती हैं वह उल्टा धा कर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत लानत मलानत के बाद किसी तरह से जब वहां का वातावरण बहुत शुब्ध हो गया, अध्यापकों का वेतन बढ़ाने का निश्चय किया। कई बार शिक्षा मंत्री ने इसी सदन में कहा था कि उन के परामर्श को उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही है। अब जब उन्होंने निर्णय किया भी तो जहां एक हाथ से देने का निर्णय करती है वहां दूसरे हाथ से उसे वापस लेने का प्रयत्न करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को इजाजत दी है कि वह डैबेलपमेंट फीस विद्यार्थियों से चार्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार बिहार गवर्नमेंट ने एक घोर तो अध्यापकों का वेतन 10 रु० बढ़ा दिया है दूसरी घोर उस ने छात्रों की फीस बढ़ा दी है जिस को से कर बिहार में भन्वोलन भी हुआ है। आन्ध्र की स्थिति भी इसी प्रकार की है। पंजाब के संबंध में भी यह बात हुई कि पंजाब सरकार ने इस साल के बजट में अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये घोर दूसरी सुविधायें देने के लिये साढ़े 77 लाख रु० की व्यवस्था की थी। लेकिन साढ़े 77 लाख रु० का प्राविजन करने के बाद भी सुनते हैं कि पंजाब सरकार ने बाद में चिढ़ कर अध्यापकों के वेतन को रोक लिया और अध्यापकों को एक पैसा भी नहीं दिया। यदि राज्य सरकारें अध्यापकों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जा कर प्रांतीय सरकारों से पूछे कि यह भूबे अध्यापक किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। इस के सम्बन्ध में उदारता से कोई निर्णय लेने के लिये वह क्यों तैयार नहीं हैं।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने भी यह कहा था

कि उन्होंने तृतीय पंच वर्षीय योजना में अध्यापकों के वेतन घोर दूसरी सुविधायें बढ़ाने के लिये पहले 8.34 करोड़ रु० रखा था, अब उस में उन्होंने 3.30 करोड़ रु० की राशि घोर सम्मिलित कर दी है। लेकिन यह रुपया तो था जो अध्यापक उस समय से उन का वेतन बढ़ाने के लिये, उन को महंगाई संबंधी सुविधायें देने के लिये। लेकिन शिक्षा मंत्री इस बात को बतलायेंगे कि क्या उस रुपये से नये स्कूल नहीं खोले गये, नये अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं की गई? यह रुपया जो पहले के अध्यापकों के लिये था उस को नये स्कूल खोलने पर उस में जो नये अध्यापक रखे गये हैं उन को वेतन देने के लिये क्या नहीं लगा दिया गया? फिर प्राप ने तृतीय पंच वर्षीय योजना में अध्यापकों को दिया क्या है? प्राप जो देना चाहते थे उसे भी वापस ले लिया। इस तरह केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में जो थोड़ा उदारता से निर्णय लेना चाहिये था वह उसे नहीं ले पा रही है।

तीसरी बात मैं प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। पहले शिक्षा मंत्री डा० श्रीमाली ने 23 मार्च 1963 को इसी सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बतलाया था कि कम से कम 100 रु० वेतन प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का होना चाहिये, बल्कि इस से ज्यादा का प्रयास वह कर रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हू कि 23 मार्च, 1963 में जो महंगाई की दर थी प्राप प्राप के सामने जब मैं बोल रहा हू कि महंगाई उस से कितने गुना बढ़ गई है। अगर उस समय के शिक्षा मंत्री के शब्दों में 100 रु० भी उस समय के लिये नान किना जाये तो प्रायः कम से कम 250 रु० प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को अबश्य बिसबा चाहिये। लेकिन नान सरस पहले यह घोषणा होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार बराबर तीन साल से इस को टालती आ रही है। मैं बतलाता

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हूँ कि अब शायद निर्णय होगया है कि 100 करोड़ से कम प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को दिया जायेगा। लेकिन अभी तो जब मिलेगा तभी अध्यापक इस दिशा में कुछ कह सकेंगे।

घरर धाप के बजट में पैसा नहीं है, या घरर धाप के बजट में गुंजाइस नहीं है तो धाप एक दूसरा काम कर सकते हैं। अध्यापकों को घरर धाप पैसा नहीं दे सकते तो कई सुविधायें ऐसी हैं, जिन को अध्यापकों को दे कर धाप इस की पूर्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिये धाप यह यह घोषित करें कि देश में जितने भी शिक्षक हैं उन के बच्चों को एम० ए० तक की एजुकेशन मुफ्त दी जायेगी। इस से कम से कम राष्ट्र के अध्यापकों का सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक भार कम होने की स्थिति तो आयेगी। अध्यापकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी जायें, जीवन बीमा की सुविधायें दी जायें या देश के भ्रमण प्रवचन आने जाने की कई प्रकार की ऐसी सुविधायें हैं जो दी जा सकती हैं। राष्ट्र के अध्यापक को जिस से धाप चाहते हैं कि वह राष्ट्र का निर्माण करे, एक और धाप सुविधा न देना चाहें और दूसरी और यह चाहें कि वह व्यास और बाल्मीकि बन कर कृष्ण और राम का इस देश में निर्माण करें तो यह स्थिति कैसे सम्भव हो सकती है।

15.28 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI in the Chair]

दूसरी बात शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री चागला से चाहता हूँ कि जहाँ शिक्षा के सम्बन्ध में वे और कई प्रकार के निर्णय ले रहे हैं वहाँ इन प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के सम्बन्ध में यह निर्णय तो अवश्य करायें कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का भाग्य डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और

म्यूनिसिपल बोर्डों के हाथों में नहीं रहना चाहिये पंचायतों के हाथों में भी नहीं रहना चाहिये। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की कैसी दयनीय स्थिति है यह आप गांवों में जा कर देखें तभी अच्छा अनुमान हो सकेगा। साथ ही साथ जहाँ उन के सम्बन्ध में यह निर्णय किया जाय वहाँ यह भी अवश्य देखा जाय कि प्राइमरी स्कूलों में जो छोटी प्रवस्था के अध्यापक और अध्यापिकायें रखी जाती हैं उन को जीवन सम्बन्धी सुविधायें बहुत कम होती हैं। जब कि साथ साथ वह अपनी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी करती हैं। प्रारम्भिक शिक्षा तो एक मूल है जिसपर शिक्षा का सारा भवन खड़ा होना है। घरर प्राइमरी शिक्षा की देश में उपेक्षा होती रहेगी तो हम शिक्षा के इस भवन को ऊंचा कैसे ले जा सकेंगे। इस दिशा में हमें कुछ गम्भीर निर्णय अवश्य लेने चाहयें।

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं दो तीन बातें और भी कहना चाहता हूँ।

सरकार ने शिक्षकों को भलाई के लिए नेशनल फेडरेशन फार टीचर्स वेलफेयर फंड स्थापित किया है। सरकार ने इस सम्बन्ध में बड़ी उदारता दिखाई है, क्योंकि इस सम्बन्ध में एक कांष एकत्रित किया गया है जिस से कि शिक्षकों को प्रचानक विपत्ति पड़ने पर, बीमारी आदि में, सहायता की जा सके। पर एक और तो सरकार इतनी उदारता दिखाती है अध्यापकों के सम्बन्ध में कि उनके लिए एक फंड बनाकर उन का सम्मान करती है, और दूसरी ओर सरकार इस प्रकार का विधान भी बनाने जा रही है कि उन अध्यापकों को जो अब तक काउंसिलों में और दूसरी मंस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है वह प्रतिनिधित्व वापस ले लिया जाये। क्या अध्यापक के पास मस्तिष्क नहीं है कि वह देश की राजनीति को कोई योग्य या दिशा दे सके? क्या अध्यापक

का अपना भविष्य देश की राजनीति के साथ बंधा हुआ नहीं है ? जो उसे आप वहां से हटाना चाहते हैं ? इस प्रकार का प्रयत्न करना कहां तक उपयुक्त है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो महिला अध्यापिकायें गांवों में घोर देहातों में काम करती हैं उनके लिए निवास की समुचित व्यवस्था की जाए और जहां तक सम्भव हो ऐसा प्रयत्न किया जाए कि महिला अध्यापिकाएँ और उनके पति एक स्थान पर रह सकें । यह सुविधा महिला अध्यापिकाओं को जरूर मिलनी चाहिए ।

निजी विद्यालयों के अध्यापकों के सम्बन्ध में कई स्थानों पर मैंने यह भी सुना है कि इन विद्यालयों की जो मैनेजिंग कमेटियां हैं वे अध्यापकों में पूरे बतन पर हस्ताक्षर तो करवा लेती हैं पर उनको पूरा बतन नहीं देती । मेरा मुझाव है कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों को इस प्रकार का संगठन बनाना चाहिए कि जो यह पता लगावे कि अध्यापकों को क्या बतन दिया जाता है और यह भी देखे कि कहीं अध्यापकों का कम बतन दे कर पेट तो नहीं काटा जाता । जिनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत मही पाई जाय उनको सख्त दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

दूसरे इन निजी विद्यालयों की जो प्रबन्ध कमेटियां होती हैं, यह ठीक है कि उनका विद्यालय पर और अध्यापकों पर नियन्त्रण रहे, लेकिन इस नियन्त्रण का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि इस नियन्त्रण के रूप में अध्यापकों के सिर पर कच्चे घागे से एक तलवार बराबर लटकनी रहे । इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रकार का कोई कानून बनावे कि अध्यापकों का भविष्य मंकट में नई पड़े और वे प्राप्तिवस्तु हो कर नई पीढ़ी के सुधार में लग सकें ।

इसके अतिरिक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में जहां यह होना चाहिए कि उनका बतन

निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, वहां यह भी जरूरी है कि जैसे फैंक्टरियों में, रेलों में और दूसरे स्थानों पर काम करने वाले व्यक्तियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 या 60 साल निर्धारित की गयी है, वैसे शिक्षकों के लिए न किया जाए । उसके सेवा निवृत्ति की आयु 65 या 70 साल रखी जाए, क्योंकि जितनी अधिक उसकी आयु होगी उतना ही अधिक उसका अनुभव भी होगा । हम दिना में भी ध्यान देना आवश्यक है ।

श्रम मंत्रालय ने एक इंडियन लेबर धार्मो-नाइजेशन बनाया है । उसमें लेबर के प्रतिनिधि बैठते हैं, जो फैंक्टरियां हैं उसके प्रतिनिधि बैठते हैं, और सरकार के प्रतिनिधि बैठते हैं । इसी प्रकार अध्यापकों के सम्बन्ध में भी हमें कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें विद्यालयों के प्रतिनिधि हों, अध्यापकों के प्रतिनिधि हों, सरकार के प्रतिनिधि हों और तीनों मिल कर शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करें । और शिक्षा सम्बन्ध में भी विचार करें । साथ ही देश के भविष्य पर भी विचार करें । इनको समस्याएँ इसलिए भी पैदा हो जाती हैं कि एक दूसरे को साथ बैठकर निर्णय देने का प्रवसर पैदा ही नहीं होता । तो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि दुनिया के देश जो शिक्षा पर व्यय करते हैं उनमें सबसे अधिक जापान और कनाडा अपने यहां शिक्षा पर व्यय करते हैं । जापान अपनी कुल आय का 5-9 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है । और कनाडा अपनी कुल आय का 4-47 प्रतिशत करता है । लेकिन दुर्भाग्य से भारत का नम्बर इस सूची में नीचे से दूसरा है । अफगानिस्तान अपनी कुल आय का 1 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है और भारत अपनी कुल आय का 1-5 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है । इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय के बारे में श्रितनी गंभीरता होनी चाहिए क्या उतनी है ?

अगर प्रायः अध्यापक को पैसा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसे प्रतिष्ठा तो मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा की क्या स्थिति है यह मैं प्रायः को एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले बंगलौर में एक सज्जन के यहां एक समारोह हुआ अब वह सज्जन नहीं है। उस समारोह में जब वह धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे धामंजन पर आज मेरे घर पर मैसूर के महाराजा से लेकर अध्यापक तक मौजूद हैं। यानी उसने ऊंचाई का स्तर मैसूर के महाराजा को माना और नीचे का स्तर अध्यापक को माना। जबकि प्राचीन भारत में यह परम्परा थी कि यदि सामने से प्राचार्य आ रहे हों और राजा हाथी पर चला जा रहा हो तो राजा उतर कर एक ओर खड़ा हो जाय। लेकिन आज अध्यापक को सबसे नीचे के स्तर पर समझा जाता है जैसा कि मैंने ऊपर बताया। दुर्भाग्य से हमारी सरकार की भी यही मनो-वृत्ति है। एक बार प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि मुझसे बहुत बड़ा स्थान प्राचार्य बिनोबा भावे का है। तो मेरा कहना है कि प्रायः यदि प्रायः अध्यापक को पैसा नहीं देते तो कम से कम उसको सम्मान तो दें। लेकिन यह सरकार पैसा भी नहीं देती और साथ साथ सम्मान भी नहीं देती। सम्मान में अध्यापक की क्या स्थिति है। जब वह समाज के सामने जाता है और यदि उसको अपनी लड़की का विवाह करना है। और वह दूसरे व्यवसाय वाले व्यक्ति के पास जाकर कहता है कि मैंने अपना पेट काट कर अपनी लड़की को बी० ए० पास कराया है, प्रायः अपने एम० ए० पास लड़के से उसका सम्बन्ध स्वीकार कर लीजिए। इस पर वह उस अध्यापक से उसी प्रकार देखे मांगता है

जैसे किसी लक्ष्मण से मांगता। वह भी उसके साथ न्याय करने को तैयार नहीं। तो आज अध्यापक को शासन न्याय नहीं देता और समाज न्याय नहीं देता। अब तीसरा रह जाता वह विद्यार्थी जिसका वह भविष्य निर्माता है। लेकिन जब अध्यापक को शासन सम्मान नहीं देता, समाज सम्मान नहीं देता तो विद्यार्थी ही क्यों उसे सम्मान देने लगा। क्या हमारे कानों में इस प्रकार की बहनाएँ नहीं पड़ती कि परीक्षा के समय विद्यार्थी चाकू लेकर नहीं बैठते हैं और अध्यापकों को अपने-कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

आज इस देश के 47 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि इस दरबार में अध्यापक अपनी यह पुकार लेकर आया है कि शासन उसे न्याय देने को तैयार नहीं, समाज उसे न्याय देने को तैयार नहीं, विद्यार्थी जिसका वह भविष्य बना रहा है वह भी उसे न्याय देने को तैयार नहीं तो अब वह अपना दुःख किसके सामने रखे ?

शिक्षा यंत्र भी चांगला शिक्षा की समस्याओं पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं और वे इस बात को निकट से जानता हैं कि अध्यापकों की कठिनाईयों के सम्बन्ध में जब भी शिक्षायत उनके पास आती है कोई शिष्ट मंडल मिलने आता है तो वे प्रान्तीय सरकारों पर उन शिक्षायतों को दूर करने के लिए बल भी देते हैं। यहाँ मैं उनके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूँ कि उन्होंने 26 फरवरी, 1965 को जो अपना वक्तव्य दिया था उसी के प्रकाश में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ निर्णय भी लिया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए, और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए। जिससे की जिनकी देख रेख में आने वाली पीढ़ियाँ बनने वाली हैं वे कह सकें कि हमें देश ने पूरी सुविधा दी जो हम इस काम को कर सकें।

जिन देशों ने अपने को ऊंचा उठाया है, पहले उन्होंने अध्यापकों की ओर ही ध्यान दिया है। पहले महायुद्ध के बाद जब चोट खा कर जर्मनी गिर गया तो ऐसा लगता था कि जर्मनी उठ नहीं सकेगा। लेकिन जर्मनी के तत्कालीन शासकों ने सबसे पहले अध्यापकों की स्थिति को ही संभाला। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमको स्वतंत्र हुए 18 वर्ष हो गए, और जिस प्रश्न को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, जिन अध्यापकों की समस्याओं पर गंभीरता से सबसे पहले विचार करना चाहिये था आज वे अध्यापक, आचार्य या गुरु जो भी कहिये सबसे अधिक उपेक्षित हैं।

मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करना चाहता हूँ कि इस विषय पर गंभीरता से आज कुछ निर्णय लिये जायें जिससे अध्यापकों की स्थिति संभले। कल आने वाली पीढ़ी की स्थिति को भी संभाला जा सके और कलक को देश से दूर किया जा सके।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That this House takes note of the statement made on the 26th February, 1965, by the Deputy Minister of Education regarding the agitation by teachers to press their demands and the Government's reaction thereto."

Shri Vasudevan Nair (Ambalappuzha): After Shri Chagla had taken over the Education portfolio, he was kind enough to make a number of statements, both inside the House as well as outside, expressing sympathy to the teachers of this country. I am sure he has realised that the conditions of tens of thousands of teachers in our country, wherever they are working, are not at all satisfactory. It is not necessary for me to emphasise here in this House the fact that the teachers' conditions are very bad. It will be a waste of time to go into the details of the conditions of service and emoluments in different parts of our country as far as teachers are concerned. But I am afraid that with

all the good sentiments that he has expressed and the many sympathetic statements that he has made, when we really come to the material steps that he has taken or he has succeeded in taking in his own Ministry or he has succeeded in persuading the State Governments to take, there is not much to comment upon.

I am glad that at the last Education Ministers' Conference, a move was initiated to see that the Planning commission or the Central Government would accept the idea of helping the State Governments outside the Plan. This is a very vital question. This has been agitating all the State Governments for all these years, because we know that most of the State Governments in the present situation are not in a position to take upon themselves the responsibility of increasing the salary only for a five-year period depending upon help from the Centre, because they would not be in a position to continue that salary scale after five years if they are not assured of continuing help from the Centre. It may be that help will be forthcoming. But as at present, according to the decision of the Planning Commission and the Union Government, they cannot depend upon it. That was the reason why many of the State Governments could not really make use of the provisions in the previous two Plans and in the Third Plan, and if the present system continues, they will not be able to make much use of the provisions even in the Fourth Plan. I hope and trust that the Union Education Minister will succeed in persuading the Union Cabinet to take a final and firm decision on this very important issue, so that the State Governments are really able to make use of the Central Grant and then they should find their matching grant so that the teachers could get a fair deal.

When we look at the problems of teachers from the material angle, I should like the hon. Minister and the Government to understand that we are not just trying to raise merely

[Shri Vasudevan Nair]

some demands on behalf of the teachers. Let us not look at the problem in that way, for, with all the good sentiments expressed in the statement which is now under discussion, I am really sorry to see that at the end of that statement there is a charge against the teachers for launching agitations. After all, governments are governments, and as far as governments are concerned, they are allergic to agitations, and so, they have to say something against agitations when they make a statement; that is the experience and that is the practice. But I am sure that the Education Minister will understand that invariably in other States also, in fact, in every State, the teachers had no other go.

In my State of Kerala, for example, the primary teachers had to resort to a chalk-down strike. That may not have been advisable, but they had to resort to it for getting some benefit which was given to the secondary school teachers. Then, of course, that benefit was given. Government realised that what the teachers wanted was quite justified and their demand or claim was a justifiable one.

Shri Yashpal Singh (Kairana): On a point of order. There is no quorum in the House.

Mr. Chairman: The hon. Member may resume his seat for a while. The quorum bell is being rung—

Now, there is quorum. Shri Vasudevan Nair might now resume his speech.

Shri Vasudevan Nair: I was referring to a case in my State of Kerala where the primary school teachers had to resort to a chalk-down strike; then, Government conceded to their demand and agreed that the teachers were really justified in the particular request that they had made, though not in the action that they took. But after the lapse of many months, Government are thinking of taking disciplinary action against those teachers.

This is the type of steamrolling that we find and that we are used to, as far as the government machine is concerned, because they cannot look at the problems of even the teachers in a new way.

In this connection, I may tell the hon. Minister that in our State, even today there is a category of part-time teachers who, I am told, are getting Rs. 30 p.m. And yet, they are expected to take over the responsibility of the future of thousands of children. We are entrusting the future of our children in the hands of those teachers. Their number is not small, but it is about 10,000 or so. There are nearly 10,000 part-time teachers with a salary of Rs. 30 p.m., and we are entrusting our children in their hands. How can we expect such people with their stomachs not full, and with worries and worries and nothing else, to look after the future of our children. I do not want to elaborate on the conditions of teachers in our country today. I am mentioning these things merely to point out that we are not raising certain problems concerning teachers only with a view to getting some benefits for them, but mainly in the larger interests of the country, with a wider perspective of raising the standards of education and the fostering of a new generation with idealism and with all the qualities that the hon. Minister wanted for our citizens when he was dealing a little while ago with the issue of the Aligarh University. Our new generation and our younger generation should grow up in the spirit of nationalism and in the spirit of socialism and in the spirit of all the noble ideals. It is in this wider perspective that we should look at the problems of teachers, and if we do so, then I am sure that we shall come to the conclusion that the conditions of the teachers have to be improved at any cost.

There is one particular problem that I would like to place before the

hon. Minister. During the Question Hour I have always been pinpointing the attention of the House on the question of teachers working in private schools and aided schools. Their problems are so many. I do not know whether the same is the case in many other States, but I know that in my State, the teachers are chosen and appointed not on the basis of their talent or merit but on the basis of the money that they can give to the manager.

Shri Yashpal Singh: On a point of order. There is no quorum.

Mr. Chairman: The bell is being rung—Now there is quorum. The hon. Member may continue—conclude rather.

Shri Vasudevan Nair: I would conclude as I have no time left by just appealing to the Ministry to look after the conditions of all the teachers in general, and the teachers working in aided private schools in particular.

श्री क० ना० सिवारी (बगहा)

जहा तक शिक्षकों के वेतन आदि का मवाल है, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान रखने का मवाल है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन मेरा ध्यान एक धनुषव है जो मैं शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। मेरे जिले में जो प्राथमिक शिक्षकों की बहानी होती है, उसमें नान-मेट्रिक जो होते हैं, उनकी बहानी भी हो जाती है। जानि के आधार पर जो हरिजन हैं या जो इस तरह के बैकवर्ड क्लासिस के दूसरे लोग हैं अगर वे मेट्रिक नहीं भी होते हैं, इस पद को संभालने की योग्यता नहीं भी रखते हैं तो भी वे शिक्षकों के रूप में बहाल कर दिए जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जिस स्कूल में वे पढ़ाने जाते हैं चाहे हरिजन छात्र का पढ़ावे या दूसरे छात्रों को पढ़ावे शिक्षा का स्तर गिर जाता है इस मवाल को मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवल्पमेंट कमिटी में उठाया था। मुझे वहाँ पर यह बताया गया कि केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के मुताबिक उसके एक सरक्यूलर के मुताबिक

ऐसा वे नांग करते हैं। मैं छगला साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात हो तो इस प्रांर ध्यान दें और देखें कि उन्ही शिक्षकों को बहाल किया जाए, उन्ही शिक्षकों को लिया जाए जो शिक्षा के कार्य को धरती तरह से चला सकें, धरती तरह उसका प्रतिपादन कर सकें और शिक्षा का स्तर ना गिरने पाये। जिनका स्टैंडर्ड नीचा हो उनकी भरती शिक्षकों के रूप में नहीं की जानी चाहिए उनको अगर दूसरी सवि-मेज में ले लिया जाए तो हमको इसमें कोई एतराज नहीं है। शिक्षा का स्तर ऊंचा रहे इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिक्षक योग्य हों। हम चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्टैंडर्ड चाहे स्कूलों का हो या कालेजों का हो ऊंचा हो। लेकिन आज तो वे बहुत नीचे गिरना चला जा रहा है। आज से दस बीस बर्य पहले जो स्तर था उससे आज शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसलिए मैं प्रार्थना करना हूँ कि देखा जाए कि कैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है।

Shri Yashpal Singh: On a point of order. Again, I challenge the quorum.

Mr. Chairman: The bell is being rung—Now there is quorum. The hon. Member may continue.

श्री क० ना० सिवारी दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जहाँ जहाँ छात्रों के संगठन हैं कालेजों में या स्कूलों में, राजनीतिक आधार पर हो या दूसरी स्टूडेंट्स यूनियनों हों, उनमें जबदस्ती लड़कों को मेंबर बनाने पर मजबूर न किया जाए। प्राक्कन ऐसा होता है। उनको परमूएड किया जाना है, उनको फॉर्म किया जाता है कि वे उद्योग करें। मेरा धनुरोध है कि इस तरह का कानून बनाना चाहिए ताकि उनको फॉर्म करने जबायन न कराया जा सके। अगर कोई छात्र यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता है तो उससे जबदस्ती फॉर्म लेना या उसका जबदस्ती उसमें शामिल करना, ठीक नहीं है।

[श्री क० ना० तिवारी]

यह नहीं होना चाहिये । जबदंती उनसे फी नहीं नी जानी चाहिये ।

यहा यह बात कही गई है कि शिक्षकों की प्राथिक स्थिति अच्छी होनी चाहिये । मैं इससे सहमत हूँ और मैं इसकी लाईद करता हूँ । लेकिन एक बात में आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ । जहां तक शिक्षकों द्वारा शिक्षा देने के काम का सम्बन्ध है, वे अपने कार्य का ठीक प्रकार से पालन नहीं करते हैं । इस और भी आपका ध्यान जाना चाहिये । बहुत से ऐसे प्राइवेट और प्रारम्भिक स्कूल हैं जहां शिक्षक कई कई दिनों तक अपने काम पर नहीं जाते हैं, घर में बैठे बिठाये अपनी तनख्वाह आदि लेते रहते हैं । इसकी शिकायत चाहे बड़े स्कूलों और कालजों में न हो लेकिन जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्रों का सवाल है, यह सच्ची जगह में मिली है और मेरे जिले से तो सब से ज्यादा मिली है अगर एक स्कूल में चार टीजर्स हैं तो उनमें से शायद एक घादमी ही स्कूल में उपस्थित रहता हो और बाकी तीन घर पर बैठे हुए खेतीबाड़ी करना है और तनख्वाह लेते रहते हैं । लड़कों को पढ़ाने में वे इसलिए दिलचस्पी नहीं लेते हैं कि लड़के उनकी प्राइवेटनी ट्यूशन रखें ताकि उनकी घामदनी बड़े । यह भी एक कारण है कि जिसमें शिक्षा का स्तर गिरता है । प्राइवेट ट्यूशन लड़के रखें इस कारण से वे स्कूल में लड़कों को मेहनत नहीं करवाते हैं । वे लड़कों को फोर्स भी करते हैं कि वे प्राइवेट ट्यूशन उन से लें । यह जो शिक्षकों का दृष्टिकोण है इसमें परिवर्तन होना चाहिए । शिक्षा मंत्री का ध्यान केवल इस एक बात पर ही नहीं जाना चाहिये कि शिक्षकों की प्राथिक स्थिति अच्छी हो या उनको अच्छी तनख्वाह मिलें या दूसरी सुविधायें मिलें, उसके साथ साथ इस और भी उनका ध्यान जाना चाहिये कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और जो बर्दाया शिक्षकों की वजह से स्कूलों और कालेजों में, तथा दूसरी जगहों पर घा गई है, इसका

फलत हो । जो भी कायदा कानून वह बनाएँ उसमें इन बातों का भी ध्यान रखें । इतना ही मेरा निवेदन है ।

Mr. Chairman: Shri D. C. Sharma.

Shri Yashpal Singh: On a point of order. Again there is no quorum.

ये क्या लड़ेंगे, कैसे देश की रक्षा ये कर सकते हैं । एयरकंडिश्नड हाल में बैठे रहने तक के लिए ये तैयार नहीं है ।

Mr. Chairman: आपकी राय इस बारे में नहीं मांगी गई है । आपने कोरम का प्वाइंट उठाया है और घंटी बज रही है । Now there is quorum. Shri Sharma.

16 hrs.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Chairman, I thank you for your great mercy, but I thank Shri Yash Pal Singh for the greater mercy shown to me.

I think we are raising this question in the wrong place, at the wrong time and in a wrong manner. The hon. Mover of this resolution referred to a question which I had put, and I am glad he has also referred to the answers given to my question, but the fact of the matter is that the hon. Education Minister has done something which has very far-reaching consequences, he has appointed an Education Commission. This Commission has omnibus objectives. It is going to deal with the problems of education right from the kindergarten class up to the university class and up to the researches which are to be done after a person has obtained his M.A. or some other degree. At the same time, if I understand rightly, this Commission is also going to deal with the conditions of teachers, their service conditions and everything else. I would request the Minister to see to it that the report of this Commission

is placed before us as early as possible, so that we are not kept in anxious waiting for this report for a very long time. Unfortunately, the reports of the Government come to this House when it is too late. I hope the physicians whom our Education Minister has appointed will come to the rescue of teachers and education in good time, so that the patient does not suffer from lack of attention or lack of facilities for him.

I make bold to say that the problem of education can be solved only if in the Fourth Plan at least 10 per cent of the total outlay is reserved for education. Unfortunately, a very small sum is reserved for education, and therefore education suffers. Education is a Cinderella in the house of this Government of India, and it is a pity that Cinderella should have a godfather like him to look after it. I wish he had a better and more charming person to look after.

Again I say that at least 20 per cent of the budgets of the States should be reserved for education. What is the situation today? I do not have the figures with me, but I can say that there are very few States, excepting perhaps Kerala, which give as much as that. I think Kerala spends much more than that, but I think at least 20 per cent of the total budget of the State should be spent on education.

What should be the allocation? The allocation should be that at least 33 per cent of the budget should be spent on upgrading the salaries and emoluments and concessions of the teachers. If I were a railwayman, I would have a chance of getting a free pass twice a year perhaps for travelling all over India, but what amenities does the teachers have? He cannot send his children to school free of cost. (Interruptions).

I think you should keep quiet. I know you have a tongue which moves on, wagging all the time. I know that. I was submitting that at least

20 per cent should be given to teachers so that they can live in comfort; they should have medical care, they should have free education for their children, they should have a pension, they should have a gratuity scheme, they should have provident fund, they should have all that.

The University Grants Commission changed the landscape of education in this country to some extent. I must pay my tribute to the University Grants Commission on the whole; though I do not like many phases of its work; it has given some hope to the teachers. There should be similarly a primary education commission to look after the interests of elementary education and a secondary education commission to look after the interests of secondary education all over the country.

You may ask how this can be done. This can be done if we are bold, if we are courageous, if we are statesman like, if we have the courage of our convictions. It can be done only if education becomes a Central subject. My good Education Minister wants it to be made a Central subject only so far as higher education is concerned. I do not agree with him. If you want to give education its proper place in the scheme of things in India, you must make education a Central subject all along the line. Of course, I know that Madras will be the first to resist it. Other States will also resist it, but if that bold step is taken, I think the problem of teachers will be solved and the primary teachers will not say that they have to work under panchayats, my hon. friend from Bihar will not say that teachers with sub-standard qualifications are employed.

Mr. Chairman: I request the hon. Member to conclude.

Shri D. C. Sharma: I am going to conclude. You are a very hard taskmaster, I know.

My hon. friend was talking about Kerala teachers. I took those Kerala

[Shri D. C. Sharma]

teachers to the Education Minister. My friend was talking about UP teachers. I took those UP teachers to the Education Minister and to the Prime Minister, and I must say that the Education Minister has always been, not sympathetic, I do not like that word, but full of active goodwill towards the teachers. He has meant what he has said, and he has done something for them, but I think that his hands will be strengthened if we have these three commissions, the primary education commission, the secondary education commission and the University Grants Commission which is already there.

I do not care whether you have the Indian Education Service or not. I want to raise the standard of living of the primary school teachers, I want the secondary school teachers to have a bright future, I want the college teacher to think in terms of a happy future for himself and for others.

Unfortunately, as you know very well—you also belong to a university, but you belong to a State university—in this country we have the Central universities,—my friends were creating such an uproar about the Aligarh Muslim University forgetting that it is a Central university—and we have the State universities. After that we have also got affiliated colleges. The Central universities are the favourite children of the Government of India, and therefore, of the hon. Minister of Education also. The State Universities, Annamalai, Punjab, Patiala, Kurukshetra, etc. are just children who live in the out-houses. So far as affiliated colleges are concerned, they are like children who live in tents which are leaky and which are exposed to winds and bad weather.

Mr. Chairman: I know the hon. Member is capable of speaking for hours together; I would request him now to conclude.

Shri D. C. Sharma: You are also capable of interrupting me after

every minute; I know that I was submitting very respectfully that there are no two opinions in this House that the fate of teachers is very sad in free India, that they deserve a better deal and that the Education Minister should do, for the teachers, what he did to the Aligarh Muslim University, namely, he should take a bold step and give the teacher his rightful place in the country.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Madam Chairman, I am very glad that you have called upon me to make a few observations on the motion before the House which deals with the primary teachers and school teachers' conditions. The question of teachers and the general question of education is more discussed than thought out. It was said that during the last 18 years there had been more than three commissions appointed to consider this matter. Whenever a new Education Minister took charge, we thought that something would be done by looking into the recommendations of the old commissions but he thought it was better to have a new commission again. A new commission is appointed now. Previously a commission was appointed only for university education, another one for secondary education. The present Education Minister has thought that it was no use considering the question of education piecemeal and the whole thing should be looked at as one whole thing. The question must be considered in an integrated way. The new commission is appointed. In the meantime the work of education is going on and the teachers suffer on account of the hard conditions of life which have come into existence. I do not say that these hard conditions are created only as a result of the policy of the Government. Anyhow, we find that conditions of life have become more and more difficult. The result of this that the teachers whom we expect our boys to train and give proper direction in life are neglected. In neglecting the teachers,

we neglect our own boys. The result is that instead of having a new generation which can be relied upon to take the responsibilities of this country hereafter, we are having bad conditions. The question of teachers condition is very pressing and I believe it would be better if our hon. Minister can manage to get the Education Commission begin its work soon and submit its report within a stipulated time for the consideration of all. In the meantime, I find there are certain matters which could be immediately taken up and acted upon. The teachers generally lead not a single life but married life. One of the important matters to be considered is how to make arrangements for their own lives and also how to give suitable education for their boys. I think the teacher's profession should at least have one privilege. At any rate, there used to be a sort of arrangement or concession in the matter of barbers. If one barber has to shave another barber he will do it, and thus the barbers will do the job for each other, without getting any remuneration for it. So, I believe in the case of teachers, there should be some kind of concession in order that their boys and girls should get education and get better concessions for them than other persons. That would be a great help and a great benefit that has to be given.

Secondly, I have found that most of these schools—both primary schools and secondary schools—are managed by district boards, taluk boards and by the newly started Zila Parishads and the rest. It looks all right on paper but so far as the financial capacity is concerned, I believe there is no finance coming from the top, to run these institutions. In fact, the State Governments who are mainly responsible for running all these institutions are themselves not in a very good position to give proper financial assistance to these institutions so that they may be run properly. There is need for substantial financial assistance being given to them.

I am one of those who believe that every school teacher should have the benefit of an insurance, so that in the case of mishap in the family, at least they should feel that there is something for the family members to rely upon. The better the protection for the teacher, the better the circumstances in which he lives, the better will he be in a position to render service properly. This is true of the primary teachers and also the secondary teachers. I want first that the conditions of these teachers should be improved.

For that purpose, many suggestions have been made. I am glad that my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri has pointedly drawn the attention of this august House to the paramount question of teachers. I shall only suggest that a committee should be appointed by the House to collect all the suggestions and views and think over the matter and then bring out some kind of measures which would substantially give assistance to the teachers, so that the teachers can have a better start in life and get encouragement to look after their duties and with better ideals to espouse the cause of education.

I do not want to take any more time of the House. I only wish to impress upon the House the urgency of taking up this question and not go on waiting and waiting and keep it ultimately in cold storage.

I thank you.

Mr. Chairman: Shri Banerjee. I request hon. Members to take only five minutes each.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Mr. Chairman. I feel that the motion before the House deserve the highest consideration from the hon. Minister of Education. I know Shri Chagla has a heart which bleeds for the teachers, but unfortunately he has no resources at his command. Only yesterday, in reply to a question, he said that Uttar Pradesh Government has increased the salaries of teachers. He is correct. But to what extent? What was the demand of the

[Shri S. M. Banerjee]

teachers from West Bengal and other States? I have before me a memorandum submitted to the Education Minister by the All-India Secondary Teachers' Federation. A similar memorandum was submitted by the primary teachers' association. They want a pay committee or pay commission should be appointed to go into their service conditions. This was the most meagre demand put forward by the teachers. How can this be denied to them? The teachers are supposed to be builders of the nation, who are going to produce our future planners, doctors, engineers and jawans, who will shoulder the responsibility of running this country. The builders of the nation have no building over their heads. They solely rely on tuitions.

Therefore, I request that the centre should intervene effectively and allot some additional financial aid to the States, outside the plan allocation. Otherwise, the fate of the teachers is sealed. When there was agitation throughout the country, squatting and hunger-strike in West Bengal and boycott of examinations in UP, Bihar and other places, certain promises were made in the House and outside by the Prime Minister and the Education Minister. I want those promises to be fulfilled.

What happened to the triple benefit scheme promised to the teachers? Has it been implemented in any State? No. The States are not interested in it. They know that teachers are the most humble people and by just giving them a good name and calling them "Sir", they may be made to do anything, even though they remain starved and they die of starvation. Starved teachers will not be able to give their best to the country. In the schools and colleges, there is the shift system, just like an ordnance factory and there is no personal contact between the teachers and students. The condition of the teachers excites horror and pity.

Therefore, my request to the minister, through you, Madam, is that a committee should be appointed, whe-

ther it is a pay commission or pay committee or expert committee with the representatives of the teachers' to associations,—to go into the working conditions of the teachers and submit a report to the government. Government should ask the private schools and colleges and government-aided schools and colleges to implement it. If the State Governments want more resources, that should be provided to them. When we are paying so much taxes, which are increasing every year, by Rs. 100 or Rs. 200 crores, can't we pay a few crores to the builders of the nation? If this committee is denied to them, it will be a great injustice done to the teachers, which will be an injustice to the future of the country.

श्री बाल्मीकी (बुर्जा) : सभापति महोदय मैं धाय को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे यहाँ सन्त-वचन में कहा गया है :—

“गुरु बिन हो कि ज्ञान,
कि ज्ञान होय वैराग्य बिन।
जल बिन कसे कि नाव,
कोटि जतन पचपच मरिये।”

हमारे देश में गुरु का स्थान सबसे बढ़ कर है और हमें यह सदैव स्मरण रखना है कि हमारे यह अध्यापक ही राष्ट्र के निर्माता हैं। हम अपने अध्यापकों और मुत्सुनों की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन देश के विकास के साथ, देश की उन्नति के साथ और देश की पंचवर्षीय योजनाओं के चमन के साथ, हम उन के जीवन और जीवनस्तर को और उनके क्लेशक्रम को ठीक करने के लिए क्या काम करते हैं यह देखने की बात है?

मैं स्वयं दो ही कामों में रुचि रखता हूँ। देश के भंगियों के उद्धार की, सफाई पेशा ब्राह्मणों के उद्धार की जो कि बहरी मल की धोते हैं और दूर करते हैं और दूसरे हमें गुरुजन अध्यापकों की, टीचर्स के जीवनस्तर को ऊपर उठाने की। जहाँ समाज में कभी

भाई बाहरी मल की सफाई करते हैं, वहां हमारे यह अध्यापकगण मन की मलिनता को व प्रविद्या रूमी धंधेरे को धपने विद्या रूपी प्रकाश से दूर करते हैं। हमारे राष्ट्र ने इन की दशा मुधारने और बेहतर बनाने के प्रयत्न तो किये है और मैं इसको मानता हूं कि अभी वे प्रयत्न जारी हैं, उनका कल्याण करने के जतन किये जाते हैं लेकिन अगर देखा जाय तो हम पायेंगे कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात् भी आज हमारे धपने उन सफाई पेशा भाइयों और हमारे अध्यापकों की अस्यन्त शोचनीय स्थिति क्रायम है। नही अभी तक उनकी दिशा में कोई मुधार हुआ है।

मैंने देखा है कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने 26 फरवरी 1965 को इस धपने ब्यान के अन्दर चर्चा की है और इनके सम्बन्ध में बतलाया है कि ऐसा करना क्यों आवश्यक हो गया है? यह बात ठीक है कि देश के अन्दर हमारे उन भाइयों की भी हड़तालें होती हैं और उस के पीछे एक भावना और एक मंतव्य होता है, किन्तु बच्चों के जीवन को लेकर चलने वाले, उन के कल्याण और उत्थान के प्रति उत्तरदायी टीचर्स ने भी जो हड़ताल की और जो मांगें पेश की और किस प्रकार उन का प्रान्दोलन चला, मैं इस और नहीं जाना चाहता हूं, न ही मैं इसमें जाना चाहता हूं कि कौन सी भावना और कौन सा मस्तिष्क उसके पीछे काम करता है? लेकिन इस अवसर पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जब देश के बुद्धिवादी वर्ग में भी एक असन्तोष और बेचैनी की भावना फैल जाती है तो वह देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात होती है और एक संकट की बात होती है।

मंत्री महोदय ने एक शिक्षा प्रायोग की स्थापना की है, लेकिन शिक्षा पद्धति में, शिक्षा की विचारधारा व प्रणाली में जो एक उच्च स्तर और एक मज्जा स्टैन्डर्ड कायम करने की आवश्यकता सब और अनुभव की जा रही है उसे लाने में उसने अभी तक क्या किया है? शिक्षा प्रायोग को गंभीरता के साथ इस और

ध्यान देना होगा कि आज देश के अन्दर जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है उसे वह किस प्रकार से उठावे? यह बात बिलकुल साफ है कि जब तक हमारे अध्यापक भाई वह प्राइमरी स्कूलों के हों या युनिवर्सिटी के हों, उनके मन में संतोष न हो, सद्वृत्ति न हो, सद्भावना न हो और उन के जीवनस्तर को उठाने के लिए सक्रिय प्रयत्न सद्भावना के साथ न किये जायें तब तक मैं समझता हूं कि कोई वांछित बात हो नहीं सकती है। जैसा कि मेरे साथी श्री बनर्जी ने कहा मैं यह अकर चाहता हूं कि विशेष कर प्राइमरी स्कूलों के टीचरों और जूनियर व माध्यमिक स्कूलों के टीचरों की दशा की जांच के लिए एक प्रकार की कमेटी उसी आधार पर कायम की जाय जिस तरीके से कि देश के सफाई पेशा भाइयों के लिए धपने जतन करके एक सही पग उठाया है और कमेटी कायम की है। मैं चाहूंगा कि उसके परिणामस्वरूप उनकी सेवा की कार्यपद्धति और उन के बेतनकम बेतन-मान को ठीक करने की और पग उठाया जाय। उनके बेतन अवश्य बढ़ाये जायें।

सभानेत्री जी मैं धापकी आज्ञा से एक बात की और इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि अभी उस दिन इसी सदन में एक माननीय सदस्य द्वारा मेरा नाम लिया गया और गांधी हरिजन विद्यालय मदनगीर की चर्चा की गई। मैं उस गांधी हरिजन विद्यालय मदनगीर, नई दिल्ली का प्रेसीडेंट हूं। माननीय मंत्री को अच्छी तरह मालूम है कि यही के मेरे एक साथी श्री श्रींकार लाल बेरवा ने जो कि भूतपूर्व ठेकेदार हैं उन्होंने उस गांधी हरिजन विद्यालय के संदर्भ में मेरे बारे में कहा था। श्रुति यह ठेकेदार रह चुके हैं इसलिए वह तो खाने, पीने की ही बात की समझ सकते हैं, शिक्षा प्रादि की बात वह क्या जान सकते हैं? उन्होंने एक बात कही थी जि की कि प्रांर में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं श्री श्रींकार लाल बेरवा ने कहा था :—

[श्री बाल्मीकी]

“मदनगिरा, नई दिल्ली में एक गांधी हरिजन स्कूल चल रहा है, जिस में प्रध्यापकों को साल, डेढ़ साल से तनकवाह नहीं मिल रही है। क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि यद्यपि सरकार से पैसा प्राप्‍त हुआ है, लेकिन प्रध्यापकों को तनकवाह नहीं दी जा रही है और यहां के संसद् सदस्य उस को खाने बैठे हैं?” अब इस के बारे में स्वयं मंत्री जी को मालूम है कि केवल चार महीने से उनको वेतन नहीं मिला था। यह भी सही बात है कि ऐंड्रेड स्कूल की दशा ठीक नहीं है और जो टीचर्स वहां पर काम करते हैं उनकी भी दशा ठीक नहीं है लेकिन इस तरह से एक संसद् सदस्य द्वारा दूसरे साथी सदस्य के ऊपर इस तरह से बेकार में कोषड़ उछालना प्रनुचित है। मैं यहां उन्हें व अन्य सभी साथियों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरा बाप भी ईमानदार था और मैं भी ईमानदार हूं। और जो भी जतन या काम मैं करता हूं वह ईमानदारी से करता हूं। पैसा खाने का प्रश्न कहाँ उठता है, जब अभी तक सहायता मिली ही नहीं है।

जब श्री प्रोकार लाल बेरवा द्वारा मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि साल-डेढ़ साल से प्रध्यापकों को तनकवाह नहीं दी जा रही है हालांकि यह बात गलत है कि सरकार से पैसा प्राप्त हो चुका था तो श्री मधु लिये ने यह पूछा था कि :—

“पैसा किस ने खाया?” साथ साथ श्री कछवाया जी ने भी . . .

सभापती महोदय : माननीय सदस्य अब तो समाप्त ही कर दें।

श्री बाल्मीकी : वम प्राण की प्राज्ञा में मैं एक बहुत ही जरूरी बात जो रही जानी है उसे कह कर अपना स्थान प्रहण करूंगा।

बात यह है कि ऐंड्रेड स्कूलों को जो सहायता दी जाती है गवर्नमेंट के प्राधान्य पर या कारपोरेशन के प्राधान्य पर, मेरी

जानकारी यह है कि उस सहायता को स्कूलों तक पहुंचाने में जानकर देरी लगाई जाती है और सहायता पहुंचने तक के ग़रते में दुनिया भर की बातें और बेमतलब बाधाएँ खड़ी की जाती हैं और जिन कारण कि वह सहायता देर से पहुंचती है तो इस के विगे मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए ताकि सहायता समय पर पहुंच सके।

एक महीना हुआ कि अब आ कर हम को इजाजत मिली कि हम तनकवाहें दें। मेरा स्कूल जो था वह एक प्रकार से नई दिल्ली के स्लम एरिया के अन्दर था। माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वहां से उठा कर हम उधर देहाती क्षेत्र में उस को ले गए हैं। ये सारी दिक्कतें हैं। मैं विरोध करता हूं लेकिन मैं साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यदि स्कूलों के टीचर्स की दशा सुधारने के लिये आप कोई यत्न करेंगे तो बिला इस लिहाज के कि मैं कोई और विचार रखता हूं, आप का साथ दूंगा। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि वहां जो टीचर्स हैं उन की संतुष्टि होगी, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस का उत्तरदायित्व मैं निभाता रहा हूं और निभाता रहूंगा। जो भी धन सरकार प्रथवा दानी महाशयों से मिलता है उस के व्यय तथा उपयोग की व्यवस्था है।

श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़) : इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विचाराधीन है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो इस तरह की ऊटपटांग बातें कही जा रही हैं और प्राइवेट स्कूलों के बारे में

सभापती महोदय : चार मिनट में आप खत्म कीजिएगा। इन सब बातों को कहने की जरूरत नहीं है। आप इस के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कहें। ये सब बातना ने की जरूरत नहीं।

श्री युद्धवीर सिंह : प्रध्यापकों का जो वेतन स्तर है, सामान्य रूप से दूसरे लोगों के वेतन स्तरों को देखा जाए तथा दूसरे नौकरी

पेशा जो लोग हैं, उन के बेंतन स्तरों को देखा जाए तो घ्राप को दोनों के छन्दर एक बहुत भारी घन्तर मालूम पड़ेगा . . .

Shri Ranga (Chittoor): It is impossible for any Member to make any kind of suggestions within four minutes.

Mr. Chairman: I will extend it by a minute or more.

Shri Ranga: After that you will go on ringing the bell and one gets upset.

श्री युद्धवीर सिंह : जो महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने हैं, इस में मैं केवल एक ही विषय के ऊपर सारी की सारी बात को केन्द्रित करना चाहता हूँ और वह है अध्यापकों के बेंतन स्तर। मेरा ख्याल है कोई भी धादमी देश के छन्दर दो रायें नहीं रख सकता है कि उन के बेंतन स्तर ऊंचे होने चाहियें, फिर चाहे वे नीचे से ऊपर तक का कोई धादमी हों, संसद् का सदस्य हों या संसद् के बाहर का कोई दूसरा धादमी हों। कोई भी इस बारे में दो रायें नहीं रख सकता है। सामान्य दूसरी नोकरीयों को देखते हुए तथा दूसरी सामान्य चीजों को देखते हुए अगर यह कहा जाए कि सब से बुरी स्थिति किसी की है तो वह केवल अध्यापक की ही है तो इस में कोई प्रतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें जो मज्जदार बात है वह यह है कि जब भी कोई धादमी स्कूल में जाता है, नोकरी-पेशा या पम्पिक का धादमी, उस वक्त जब प्राइज डिस्टिन्ट्यूशन होता है या कोई घोर फंक्शन होता है तो बहुत बढ़िया बढ़िया उद्देश्य धरी भाषा के छन्दर अध्यापकों को उन के कर्तव्य का बोध कराया जाना है, अध्यापकों के बारे में बातें कही जाती हैं, यह कहा जाता है कि उनको अपनी परम्परा को निभाना चाहिये, एक धादर्श, समाज के सामने उपस्थित करना चाहिये, समाज के छन्दर उनका कितना सम्मान है, यह उनको बताया जाता है। ये सब उपदेश अध्यापकों को सुनने पड़ते हैं। इस तरह के उपदेश

शायद ही समाज में किसी घोर काम को करने वाले लोगों को सुनने पड़ते हों। ये जो सारी बात हैं ये बेकार, निकम्मी घोर निरर्थक साबित होती है जब उसकी जो प्रावश्यकतायें हैं, जीवन की अनिवार्य प्रावश्यकतायें हैं, उन तक को हम पूरा नहीं करते हैं। उसमें हम उम्मीद करते हैं, उससे हम धाशा करते हैं कि वह समाज का निर्माण करे, बच्चे जिन्होंने धाषे जा कर देश का सारे का सारा काम सम्भालना है, उनकी जिम्मेदारी सारी की सारी अपने ऊपर ले। लेकिन उनका जो जीवन स्तर है वह इतना हीन है, इतना निम्न है कि दोनों बक्त का खाना भी उसको नहीं मिल पाता है। तब ये जितनी बातें हैं जोकि उपदेश की शकल में होती हैं, मजाक बन कर चह जाती है। इन सारी की सारी बातों को छोड़ कर मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य श्री तिवारी दूसरी बातों पर चले गये। प्रस्ताव तो कुछ घोर ही था। मैं मानता हूँ कि उनकी बातों में काफी हद तक ठीक हो सकती है, वे भी उचित हो सकती है। इन सारी की सारी बातों का इलाज केवल इतना ही है कि उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए। तब वह ट्यूशन भी नहीं करेगा, उनके दिमाग में फन्देशन भी नहीं धायेगी घोर न ही वह कोई घोर कार्रवाई करने पर उतारू होगा जिससे ध्रापको उसके प्रति कोई शिकायत हो सिवाय राजनीति की बात के। सब से पहले भ्रकार का जो कर्तव्य है, उसको वह पूरा करे।

Shri Yashpal Singh: I rise on a point of order. There is no quorum in the House.

Mr. Chairman: The hon. Member will kindly resume his seat. The bell is being rung. Now there is quorum. He will continue his speech.

श्री युद्धवीर सिंह जितनी ऊंची ध्रापकी धारधायें अध्यापक के बारे में हैं, जितनी अच्छी धावनायें ध्राप उसके प्रति

[श्री युद्धवीर सिंह]

रखते हैं, जब तक ग्राम उसके बेटन स्तर उन्नत नहीं करेंगे, उसकी सामान्य आर्थिक स्थिति जो है, उसका प्रच्छा नहीं करेंगे, तब तक जैसा मैंने शुरू में कहा ये सारी की सारी बातें बिल्कुल मजाक बन कर रह जायेंगी। सब से पहले तो सरकार को अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिये।

कमिशन बनाने की एक दो जगह से मांग की गई है। कमिशन तो जब बनेगा तब बनेगा लेकिन इस बात को तो सब जानते हैं कि सामान्य रूप से उनका बेटन स्तर बहुत नीचा है। इस सामान्य सी बात को ध्यान में रख कर उसकी स्थिति को सुधारने के लिये जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई होनी चाहिये ताकि उसके दिल में कम से कम इतना सन्तोष तो हो सके कि ग्राम उसके लिये कुछ करना चाहते हैं। तब वह भी समाज को बनाने के अन्दर अपना हिस्सा दे सकेगा, जिस प्रकार से श्रीर घादमी अपना हिस्सा देते हैं। तब सारे के सारे काम जो हैं वे ठीक तरह से आगे चल सकेंगे।

Shri Ranga: Madam Chairman, I wish to associate myself and my Party with this Motion and also with all the remarks, suggestions and sympathies expressed by Members from all sections of the House in regard to the need for improving the conditions of our teachers.

We all know that the Minister also is very much in favour of improving their conditions. But he pleads, and quite rightly, his inability to go to their rescue because of lack of funds. That difficulty will always be there but much more so now than in the future. Let us hope so. All over the world, it has been so. The least-paid people are the teachers; the best-praised people are the teachers. But something or the other has to be done.

I would like to confine myself to a few suggestions. I am all in favour of raising their salary scales, provident fund and also, if possible, pension. But in addition to all that, they should be released from the thralldom of the panchayati raj control in regard to transfers, in regard to promotions and in regard to the general treatment that they are given. Especially, the village school teachers are the worst sufferers; then come the high school teachers also. They are being transferred in a pell-mell fashion. There must be some limit to that. Some decent assurance should be given to these people that during the course of the academic year, they will not be transferred and if there were any transfers at all to be made, it should be only during the summer holidays when it will be possible for them to go over to another place and wherever they are sent, they should be allowed to remain there for at least one year.

Secondly, priority should be given in regard to house building that is going on all over the country both at the State level and at the Central level for these people also. They should also be provided with houses. The policemen are provided houses. Just as you have priority for the policemen, there should be priority for the teachers also. Each teacher, wherever he is sent, should be assured of minimum housing facilities.

I would like to make one other suggestion. My hon. friend has suggested that there should be a committee to enquire into the conditions of the people in different parts of the country because conditions change and they ought to improve. We should be able to know also how they are improving from year to year. Once in every two or three years, a report is being published in regard to the development of education all over India—it used to be there when the British people were there; I do not know whether in the recent past that practice has been given up. But

in that report there should be a special chapter regarding the conditions prevailing in different parts of the country as to the service conditions and actual treatment meted out to the teachers so that the House would have an opportunity of knowing how the position is and would be able to give some attention to it from time to time, whenever it is possible.

Lastly, these teachers should be given the Central assistance as well as the Governors' assistance and the President's assistance for celebrations—one is Ganapati Mahotsav and the other is Dussehra—when they should be encouraged to go round with their students, as they used to do in my boyhood days, from home to home of the students as well as of their elders in the villages to collect some Guru Dakshna so that out of that money some allotments can be made by the teachers' associations themselves for the teachers who are helpless and who are very badly in need of emergency assistance.

I hope that all the suggestions that have been made by all our friends and that of mine will be taken into consideration and I hope the hon. Minister would be able to carry weight with the State Ministers also and see that his sympathies as well as our sympathies are translated into practical terms by way of some assistance and some relief from the local panchayats who are now sitting tight over them as their masters, as their bosses.

Shri Alvares (Panjim): Madam Chairman.

A word in the cause of teachers is a support for national cause. I do hope that the Education Minister will, with sympathy, take up their cases seriously. I know that he has lot of difficulties, but these difficulties have to be overcome if this very important section of our public services has to be done justice to. It is not merely a question of placating teachers by saying that they perform a

national service. In fact, our planners have stated that the Plan achievement as far as the community services and increase in agricultural production are concerned, would have been much more if the farmer had been educated and had been able to absorb the fruits of literacy. Therefore, the teachers not only contribute to academic qualifications but also contribute to great economic fulfilment in our own economy. Therefore, I would urge upon the Finance Minister that, whatever are the difficulties, there are ways of overcoming them. If the suggestion is that it is possible to increase the salary of teachers by sharing it between the planned quota, then I would suggest that we convene a conference of Education Ministers of States, place the demand before them and use the influence and persuasive power in order to bring about a radical change in the conditions of teachers.

Everybody knows that the conditions of teachers are subject to grave abuses. Who does not know that, in the aided school, the teacher's salaries are not fully paid and if at all paid, they are paid after a lapse of many months? Who does not know that this profession should attract the best talents in our country? The teachers are the best paid in foreign countries. I think that, in our country, the teaching profession should attract at least those salaries that Class III government employees get. I, therefore, recommend this Resolution with the suggestion that the Education Minister should pay attention to the grievances of teachers and redress the injustices that they suffer from so long.

Shri Yashpal Singh: There is no quorum in the House.

Mr. Chairman: The bell is being rung . . .

Now there is quorum. The Minister can start.

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): My hon. friend, Mr.

[Shri M. C. Chagla.]

Banerjee, said that I had a heart for the teachers. I wish I had also a purse for them. Having a heart without a purse does not carry you very far. My friend, Shri Shastri, asked me whether I did not agree with him that the demands of teachers were just. I think, by and large, they are just and they are the minimum demands which are to be satisfied. But the problem, as he knows, is one of resources. Mr. Sharma said—I think Mr. Shastri also said—that, of all the countries, perhaps we spend the least on education. I think it is correct. Whenever there is to be economy, the first casualty is education. We have not yet realised the importance of education in our country. Even from the economic point of view as Mr. Alvares said, education is the best investment that any country can have. I think this realisation is coming and very soon we will be spending more on education.

Now, may I point out the thing? If you look at the figures, in the First Plan, we had no scheme at all to help the teachers by raising their emoluments. In the Second, we made a provision of Rs. 24.55 crores, but we actually spent Rs. 32 crores. In the Third Plan, we made a provision only of Rs. 11.34 crores, but we spent Rs. 37 crores.

Now, I confess this is a drop in the ocean. This is a matching grant. Many Education Ministers and Chief Ministers of States have come to me and said, 'We want to raise the salaries of teachers. We agree with you that the salaries are not adequate. But we cannot provide for it in the State plan. If you can give us outside the Plan, we are prepared to do so'. But our own financial resources are not such that we can do so.

Now we have come to a decision. It was the unanimous decision of all the State Education Ministers who met in Srinagar last time that the question of raising the salaries of

teachers should be outside the Plan; it should be part of the ordinary expenditure which a State has to incur. I cannot understand why, if the State looks upon the payment of salaries of civil servants, of dearness allowance to them, emoluments to policemen and other officers, as ordinary expenditure of a State, they should not consider proper payment of salaries to teachers as part of the ordinary administrative expenditure of a State. So that principle is settled. We have agreed that 'if you pay anything special to teachers for special qualifications, we will help you', but as far as the ordinary expenditure, ordinary salaries, are concerned, it should be a charge on their resources. As Shri Shastri has said, the teacher has got to live; if he has to think where the next day's meal is going to come from, you cannot expect him to mould the future generation of our country.

Having accepted that principle, the next question is, where is that money to come from. The States have got to raise the resources. I do not think they can raise all the resources for the purpose. We are considering to what extent the Union can help the States in this regard. We must wait for the Report of the Finance Commission. In fact, the Report has already been submitted to the President. As you know, under the Constitution, the Cabinet has to pass a resolution and then we have to come to Parliament. We are waiting for a decision on the Finance Commission's Report. We must try and subsidise the States as much as possible so that the salaries of teachers could be raised.

16.50 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

But I think in the last few years, we have done something. It is not as if nothing has been done. May I briefly summarise what has been done? In the recent past, both Bihar

and U.P. have raised the salaries of their teachers. Let me first give you the number of teachers which would give an idea of the magnitude of the problem. The number of teachers in 1963-64 was: elementary teachers 13,19,761; secondary teachers 3,93,942, total 17,13,733. So that even an increase of a rupee or two comes to a very large sum. But I do not think education will ever improve in this country unless we solve the basic problem of paying teachers well. I know the world over teachers are poorly paid. I know that people are attracted more to industry, to government service, and the last thing that they think is joining the profession of teaching. Our country has had very high traditions about teaching. The guru in India was respected, was revered. The chela used to pay him reverence. I do not think that Shri Shastri is right when he says that we do not even give him dignity and status. We are trying our best. We are giving national awards. As you know, we have a special function when the President comes and gives the awards. We have raised a national foundation for teachers, and Rs. 75 lakhs have been collected, and we are trying to help teachers who are in distress. That is not enough, much more has got to be done, but let me point out what has been done in the recent past.

The Government of Assam raised pay scales in 1964. Madras has introduced parity of scales for teachers under all managements; increased dearness allowance has been granted in July, 1962 and again in May, 1964. This is our policy that there should be no difference in salaries between aided schools and Government schools, and Madras has carried that out. Pay scales of post-graduate teachers in Punjab have been upgraded. In West Bengal, the average emoluments of secondary teachers in 1965, as compared to 1960 have been increased. As I have already mentioned, Bihar raised the salary scales in April, 1965 and U.P. raised it in July,

1965. All that it has given is an increase of Rs. 20 per month, but even that has cost U.P. Rs. 10 crores.

So, the real problem to my mind is not a failure to realise the legitimacy of the teachers demands, but the difficulty of finding the resources. But I agree that if education is to have any meaning, any significance in this country, we have to tackle this problem, and I assure the House that not only will I give it anxious thought, I have been doing it ever since I accepted this office, but I will try and carry the Government with me to accept some part of the responsibility for raising the salaries of teachers.

Suggestions have been made by Shri Sharma and Shri Shastri that like the University Grants Commission, we should have a secondary education commission and a primary education commission. We have had this matter examined by the Law Ministry. Under the Constitution we cannot do it. The University Grants Commission was established because the Constitution provides for higher education and we have a certain responsibility. As far as primary and secondary education is concerned, it is entirely a State subject. Shri Shastri asked why we should not make this a concurrent subject. He knows that under the Constitution unless the majority of the States agree to it, we cannot do so. So far, with all my efforts I have only persuaded Punjab to agree to making it a concurrent subject.

I agree that Rs. 100 should be the minimum which any teacher should get. I was told that my predecessor had said this in the House. That was a long time ago. I have also been saying it. But costs of living have gone up, prices have gone up. But the least that a teacher should get in our country is Rs. 100, but with the increase that U.P. and Bihar have given, I believe we have reached that minimum.

[Shri M. C. Chagla.]

As regards the All India Education Service, Shri Shastri knows that we had a resolution passed in the Rajya Sabha. Steps are being taken to work out the details of the service.

As regards the triple benefit scheme, I do not think Shri Banerjee is right when he said that no State had introduced it. As a matter of fact, a large number of States have introduced it. Andhra Pradesh, Bihar, Kerala, Madras, Mysore, U.P. have this scheme. Maharashtra has under consideration the question of introducing a flat rate pension scheme for secondary school teachers. Madras has extended the scheme to the aided college teachers of the State, with effect from April, 1964 and the implementation of this important scheme is being taken up with the other State Governments. We ourselves here have just introduced the provident-fund-pension-insurance scheme for teachers of aided schools in the Union territories as from 1st of April, 1965. With regard to giving free education to teachers' children there also many States are doing it. Mysore and West Bengal have made education free for primary and secondary school teachers' children upto high school or higher secondary classes. In Jammu and Kashmir education is free upto post-graduate level. In other States concessions of varying degrees are available for teachers' children. Effective from 1964-65, no tuition fee is charged for children of teachers employed in primary, middle or secondary schools, run or aided by Government in the Union Territories, upto and including high or higher secondary classes. So that, as far as Union Territories are concerned we have conferred this particular benefit on teachers. Merit scholarships are awarded for their children so as to enable a meritorious child to pursue higher education. Apart from emoluments, certain other concessions are being given. I agree that much more can be done and much more should be done.

My friend Mr. Nair said that teachers are compelled to go in for agitation. I do not agree. I do not know how many deputations of teachers I have seen since I became a Minister. One advice I give them is this: if you are not disciplined yourselves, how do you expect the students to be disciplined; if you go for strikes, hunger strikes and agitation, I think you are not doing the duty by yourself or the duty by the children whom you are supposed to teach and train.

One hon. Member said that the standard of education was going down in primary and secondary education. If you look at the figures, the tremendous expansion of education since we became free, the shortage of trained teachers and lack of resources, it is not surprising that upto a point standards have gone down. The surprising thing is that we have faced this problem and on the whole we have not done too bad. Prof. Ranga mentioned certain suggestions; one was about the transfer of teachers by panchayats. This is a matter for the States but I shall take it up. There are two opinions I have heard from the teachers. Some are satisfied to be under the panchayats; others are wholly dissatisfied. Conditions vary from panchayat to panchayat and State to State. I agree that it is not right to transfer teachers frequently without giving them proper notice or without looking after their comforts. I also agree that we must look after the problem of housing of the teachers. The more important problem here is women teachers. We cannot get women to go to villages unless we give them staff quarters. A male teacher can stay with anybody, but a woman teacher cannot, and therefore, we are giving top priority to build women's staff quarters in the villages. The picture is so uneven between the educational advance of boys and girls that we have to raise the level of girls' education and bring

about a certain amount of evenness between the two positions.

17 hrs.

I think Shri Prakash Vir Shastri is not quite right when he says that in Delhi the teachers of the aided schools have been excluded from the triple benefit scheme. I do not think that is correct. Every teacher, who belongs to an aided school will get the benefit of the scheme that we have introduced from the 1st April, 1965.

I do not want to take more time of the House. As I said, I shall repeat the assurance: you may say this is an empty assurance, but I cannot do more. I have been pressing it upon all people concerned; at Srinagar every Education Minister was satisfied that something has got to be done to raise the salary of teachers. Everyone was satisfied that the salaries are not adequate. I impressed upon them that they must find the resources: they might levy an educational cess; they might earmark a certain tax for that purpose. But it is of the most vital importance and of the greatest national importance that we should have teachers well paid, who are satisfied, who do not suffer from frustration and who can do their duties satisfactorily.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री श्री चागना . . .

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि हाउस अभी कितनी देर तक चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अभी थोड़ी ही देर में खरम हो जायगा ।

श्री यशपाल सिंह : हाउस ने यह समय बढ़ाया है या प्राप ने कोई इस तरीके का समय बढ़ाने का ठुक्म दिया है ?

1099 (Ai) LSD—10.

अध्यक्ष महोदय : प्रकाशवीर जी का जवाब मुन जीजिये । दो, तीन मिनट में ही मैं खरम करता हूँ । यह जो थोड़ा सा समय बढ़ाया है वह प्राप की ही धाम्ना से बढ़ाया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्राप ठाकुर साहब को क्रोध बहुत है ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री श्री चागना ने अध्यापकों के प्रति जो सहानुभूति प्रदर्शित की है मेरा धपना धनुमान है कि उनके वेतन आदि के सम्बन्ध में और महंगाई भत्ते आदि के सम्बन्ध में सम्भव है कि वह अपने इस समय के भाषण में कोई घोषणा न कर सकें हों लेकिन उन्होंने अपने भाषण से उन को सहानुभूति प्रवर्ष्य दी है जिसके लिए कि भारत के अध्यापक तत्काल उन के आभारी होंगे । परन्तु साथ ही उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ इस प्रकार की विचारणीय बातें कही हैं उन बातों पर शिक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है और उन में कुछ इस प्रकार की बातों को जिनको कि प्राप मुख्य प्रायमिकता देना चाहते हैं, उन के सम्बन्ध में प्रगर शीघ्र निर्णय किये जा सकें और उन को शीघ्र व्यावहारिक रूप भी दिया जा सके तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि पिछले 18 वर्षों में प्रगर कोई सब से बड़ा उपेक्षित वर्ग रहा है तो वह इस देश में अध्यापकों का ही रहा है ।

एक अन्य बात शिक्षा मंत्री अपने उत्तर में बनाना भूल गये । चौबीस-वर्षीय योजना से देश के अध्यापकों को बड़ी निराशा हुई कि उग योजना की जो धब तक रूपरेखा गामने आई है उस में अध्यापकों के सम्बन्ध में कोई विशेष गणि उन के वेतन या महंगाई भत्ते आदि का बढ़ाने के सम्बन्ध में है उस को व्यवस्था नहीं की गई । प्रगर इस दिशा में भी प्राप शीघ्र कुछ निश्चय कर सकेंगे तो अध्यापक प्राप के आभारी होंगे ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

तीसरी एक सत्र से बड़ी बात जो मैंने अपने भाषण में कही थी कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर आप और बहुत से कानून बनाते हैं अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी, उसी तरह से अध्यापकों के सेवा सम्बन्धी कुछ कानून इस प्रकार के प्रवण्य बनाने चाहिये ताकि उन का गला हर समय मैनेजमेंट के या प्रबन्धकारिणी समिति के हाथों में नहीं रहे। उन की सेवा की सुरक्षा हानी चाहिये। मुविद्याओं के सम्बन्ध में व्यवस्था हानी चाहिये। इस के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुछ इस प्रकार के कानून अध्यापकों के लिए प्रवण्य बनाये जायें जो कि सारे देश भर में समान रूप से लागू हो सकें।

एक बात आप ने कही माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में। माध्यमिक शिक्षा प्रायोग बनाया जाए तो संविधान इस में वीच में आ कर बाधक बनता है। मेरा इसके लिए कहना यह है कि उसके लिये संविधान में प्रावश्यक संशोधन किया जाना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा प्रायोग बनाये जाने के रास्ते में संविधान अगर बाधक बनता है या इस प्रकार की जो समवर्ती सूची है उसमें संविधान बीच में बाधक बनता है तो जब प्रपेक्षा होती है और सरकार उस की प्रावश्यकता को अनुभव करती है तो वह संविधान में संशोधन क्यों नहीं कर सकती? एक ऐसे प्रश्न पर जिससे कि राष्ट्र के निर्माण का प्रश्न लगा हुआ है तो उस संविधान में संशोधन क्यों नहीं कर सकती। शिक्षा मंत्री जी जहां और सारे प्रश्नों पर विचार करें वहां इस प्रश्न को भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने प्रवण्य रखें जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बल मिलना है। अगर इस के लिए संविधान में संशोधन किया जा सके और यह दोनों बातें स्वीकार की जा सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर

भी जो उन्होंने अपने भाषण में आश्वासन दिया है उस से मैं समझता हूँ वह बचनबद्ध हों गये हैं और वे इस प्रश्न का उचित और अनुकूल समाधान भी शीघ्र ही निकाल सकेंगे। मैं एक बार उनके भाषण के लिए और उन के आश्वासनों के लिये फिर उन को धन्यवाद देता हूँ।

Mr. Speaker: The question is:

"That this House takes note of the statement made on the 26th February, 1965 by the Deputy Minister of Education regarding the agitation by teachers to press their demands and the Government's reaction thereto".

The motion was adopted.

17:05 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE:
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
(AMENDMENT) ORDINANCE AND
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
(AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : डाकुर साहब, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री यशपाल सिंह : प्रब मैं कल ही कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी ही कह लीजिये।

श्री यशपाल सिंह : मैं कल कहूंगा, अभी हमारे डिप्टी-स्पीकर साहब नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं है तो क्या हुआ मैं जो उनकी जगह हाजिर हूँ ? आप जो भी कहना चाहते हों फरमाइये। मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आपने कह दिया है कि आप भूख हड़ताल करेंगे ? यह कब बर्दाश्त हो सकता है ? मैं चाहता हूँ कि इस मामले को इसी वक्त खत्म किया जाय।